

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2002

का.आ. 1285(अ).— जबकि, आयकर अधेनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 10 मार्च , 1997 की अधिसूचना सं० सा० आ० 180(अ०)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने बंगलौर होस्पिक ट्रस्ट मार्फत इंडियन कैंसर सोसायटी, न्यू थिपासुव्रा मेन रोड, भारत एगरोनैटिक्स लि०, थर्ड स्टेज, बंगलौर-560075 द्वारा बंगलौर के गंभीर रूप से कैंसर से ग्रस्त मरीजों की देखभाल के लिए 50 बिस्तरों वाले आश्रम का निर्माण, उपस्करों की

खरीद और साजसज्जा की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 17 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 23 फरवरी, 2000 की अधिसूचना सं० सा० आ० 156(अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1997-98 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 उ के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करने के लिए परियोजना लागत को 271.50 लाख रुपये से संशोधित करके 423.00 लाख रुपये करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क) बंगलौर होस्पिक ट्रस्ट मार्फत इंडियन कैंसर सोसायटी, न्यू थिपासुद्रा मेन रोड, हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लि०, थर्ड स्टेज, बंगलौर-560075 द्वारा बंगलौर के गंभीर रूप से कैंसर से ग्रस्त मरीजों की देखभाल के लिए 50 बिस्तरों वाले आश्रम का निर्माण, उपस्करों की खरीद और साजसज्जा की करने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है तथा

(ख) दिनांक 10 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं० सा० आ० 180(अ०) में आगे निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं नामतः

अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 17 के सामने कालम (4) में जो धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित है इसमें अक्षर, अंक तथा शब्द "271.00 लाख रुपये" के स्थान पर अक्षर अंक तथा शब्द "423.00 लाख रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।